राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	अमर सिंह बनाम सरकार 685/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.2.26	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि लैण्ड होल्डर तहसील कोटपूतली ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि गांव गोपालपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 770/1023 रकबा 2.50 है. भूमि बनवारी पुत्र शिवलाल जाति चमार निवासी गोपालपुरा के नाम मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सं. 2045 से 2048 दर्ज थी। अप्रार्थी के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 15/01/1986 से किये गये बेचान के आधार पर नामान्तरकरण के जरिये उक्त आराजीयात की खातेदारी में अमरसिंह पुत्र कृपादयाल जाति चमार निवासी ग्राम नसीराबाद तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर का नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुआ। जिसकी जमाबंदी सं. 2056 से 2060 संलग्न की है। ग्राम जनता गोपालपुरा द्वारा उक्त आंराजी मुतदाविया के अवैध तरीके से बेचान करने का शिकायती प्रार्थना-पत्र पेश करने पर तथ्यों की जांच करवाने पर पाया गया कि क्रेता अमरसिंह पुत्र कृपादयाल जाति चमार नाम का व्यक्ति ग्राम नसीराबाद तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर में नहीं होना तथा न ही तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर में इस नाम का कोई गांव होना तथा न ही तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर में इस नाम का कोई गांव होना पाया गया। उक्त आराजीयात विवादग्रस्त की मौके पर जांच करवायी जाने पर उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का अर्थात स्वर्ण जाति के व्यक्तियों का कब्जा काश्त होना पाया गया। चूँकि उक्त आराजी विवादास्पद चमार जाति के सदस्य की खातेदारी की भूमि थी, जो कि अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है। जिसको अवैध तरीका अपनाया जाकर जरिये विकय पत्र के बेनामी व्यक्ति को बेचान कर अन्य दीगर श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर काश्त की जा रही है। अत: उक्त आराजीयात को सिवायचक घोषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये एवं अपीलार्थी अमर सिंह द्वारा जवाब वाद प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय दिनांक 05/06/2018 पारित करते हुये प्रार्थी/वादी का दावा डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 770/1023 रकबा 2.50 हैक्टेयर वाके मौजा गोपालपुरा में बेनामी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15/01/1986 के आधार पर अमर सिंह पुत्र कृपादयाल जाति चमार निवासी नसीराबाद तहसील किशनगढ़बॉस जिला अलवर के नाम राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	अमर सिंह बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
635/2018		

राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी अवैध एवं निष्क्रिय होने से निरस्त फरमाते हुए उक्त आराजीयात को राजकीय सिवायचक भूमि घोषित की जाकर लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटपूतली को आदेश प्रदान किये गये कि वे तत्काल राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के अनाधिकृत अतिक्रमण एवं कब्जे काश्त से बेदखल कर आराजीयात वादग्रस्त को तुरन्त कब्जा राज लेकर उसके सरक्षण एवं सुरक्षा की माकूल व्यवस्था सुनिश्चित करे, जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर रेस्पो. के बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस समायत की गयी |

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि के सन्दर्भ में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार को पक्षकार बनाये बगैर ही मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट की सत्यता को प्रमाणित मानते हुये तनकीयात का विवेचन कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | विधि के प्रावधानों के अनुसरण में रिकार्डेड खातेदार को पक्षकार प्रकरण समायोजित कर ही विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये निर्णय किया जाना विचारण न्यायालय के लिये आवश्यक था किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटी किया जाना प्र होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05/06/2018 विधिसम्मत प्रतीत नही होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रश्नगत आराजी के रिकार्डेड खातेदार को पक्षकार प्रकरण बनाते हुये विधिक प्रावधानों की पालना कर पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य-सबूतों को विस्तुत विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय पुन: पारित करे | तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 03/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर